(Civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई (अजमेर)

व इजलास श्रीमति नीतू मीना (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 33 / 2025

1. भैरू पुत्र माधु उम्र बालिग
2. गीता पुत्री माधु उम्र बालिग
3. सीता देवी पुत्री माधु उम्र बालिग
4. गोपाली पत्नी भोलू उम्र बालिग
5. फोरन्ता पुत्री भोलू उम्र बालिग
6. शैतान पुत्र भोलू उम्र बालिग

सर्वजाति जाट सर्वनिवासीगण ग्राम डोहरिया ग्राम पंचायत झीरोता तहसील अराई जिला अजमेर राज.

प्रार्थीगण

बनाम्

1. घीसी पत्नी रामकरण
2. छोटू पुत्र श्रीराम
3. धन्नी पत्नी श्रीराम
4. रामदेव पुत्र श्रीराम
5. हुस्यार पुत्री श्रीराम

सर्वजाति जाट सर्वनिवासीगण ग्राम डोहरिया ग्राम पंचायत झीरोता तहसील अराई जिला अजमेर राज.

6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब अराई, जिला अजमेर राज.

अप्रार्थीगण

आदेश

वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : वकील वादी श्री अशोक शर्मा   दिनांक 12.8.25

1. संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा ने उपस्थित होकर एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राज.का.अधि.1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण कृषक व्यक्ति है जो ग्राम डोहरिया ग्राम पंचायत झिरोता तहसील अराई का निवासी है । ग्राम झिरोता में खसरा नं0 89 रकबा 3.5596 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है । प्रार्थीगण के पडोसी उपरोक्त अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में जबरन घुसकर लगभग 4 बीधा भूमि पर अवेध कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया है । श्रीमान से निवेदन है कि आराजीयात मुतदाविया कृषि ग्राम झिरोता में खसरा नं0 89 रकबा 3.5596 हैक्टेयर भूमि से अप्रार्थीगणें को बेदखल कर उक्त भूमि का कब्जा पुनः प्रार्थी को दिलाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

...का वाद दिनांक 24.6.2025 को वाद को रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी ...ई गयी जो कि 25.7.2025 तक प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 20.8.2025 को उनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही की गई।

दिनांक 20.8.2025 को वकील वादी की एकपक्षियी बहस सुनी गई । जवाब पेरोकार सरकार प्राप्त हुआ । जबाव पेरोकार सरकार का अवलोकन किया गया । पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार झीरोता तहसील अराई के खाता संख्या 213 नया व पुराना 187 के ख0नं0 89 रकबा 3.5596 हैक्टेयर किस्म बारानी (1.0841 है0) व बारानी 2 (2.4755 है0) में प्रार्थीगण संख्सया 1 हिस्सा 5/12, प्रार्थी संख्या 2 हिस्सा 1/12, प्रार्थी संख्या 3 हिस्सा 1/12 प्रार्थी संख्या 4 हिस्सा 7/37 प्रार्थी संख्या 5 हिस्सा 1/36 प्रार्थी संख्या 6 हिस्सा 7/36 से खातेदारी भूमि दर्ज है । पेरोकार सरकार के जवाब से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी पर जबरन कब्जा कर रखा है । अतः तहसीलदार अराई को यह आदेशित किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजी ग्राम झिरोता में खसरा नं0 89 रकबा 3.5596 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा किये गये अवेध अतिक्रमण को हटवाकर उक्त कृषि भूमि का कब्जा प्रार्थीगण को सम्भलवाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये ।तहसीलदार अरांई को आदेश पालना की तहरीर जारी हो। आदेश की पालना अपील/मियाद अवधि गुजर जाने के बाद की जाए ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.8.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नीतू मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई